# न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री शक्ति सिंह राठौड़ आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

**अपील एल.आर. संख्या 2024/1014/ जिला–अजगेर**

1. स्वरूपनारायण पाठक पुत्र पुरूषोत्तम जाति ब्राहम्ण निवासी बड़ी बस्ती पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजगेर।

----अपीलार्थी

## बनाम

1. योगेन्द्र यादव पुत्र रमेश यादव जाति यादव निवासी बड़ी बस्ती पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

-----प्रत्यर्थीगण

---

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश तहसीलदर, पुष्कर दिनांक 24–6–2024
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 05/2024
बउनवान योगेन्द्र यादव बनाम राज0 सरकार

---

उपस्थित– 1. श्री दीपक पारीक, अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री एल.एन.वागड़ी, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1

## निर्णय

दिनांकः– 16–12–2025

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि श्री छोगा पुत्र श्री गंगाराम एवं श्री रामदेव पुत्र श्री रघुनाथ निवासी जोबनेर द्वारा जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 16–11–1970/ 11–12–1970 से श्री पुरूषोत्तम एवं श्री तनसुख जाति ब्राहम्ण पाराशर निवासी बड़ी बस्ती पुष्कर से ग्राम पुष्कर के तत्समय के खाता संख्या 34:1 के खसरा नम्बर 786 की 5 बिस्वा भूमि जिसके नवीन खसर नम्बर 289 है, को अखिल राजस्थान भांण्ड सभा राजस्थान जयपुर संस्था के नाम से कय की थी। श्री पुरूषोत्तम के सामुहिक खातेदार थे एवं भाई बंटवारे में उक्त खसरा संख्या 786 के नवीन खसरा नम्बर 289 श्री पुरूषोत्तम के हिस्से में आता था। श्री छोगा व श्री रामदेव द्वारा उक्त कय भूमि पर चारोतरफ चार दीवारी का निर्माण करा लिया था। श्री छोगा व श्री रामदेव द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त खसरा संख्या 786 नवीन खसरा संख्या 289 की एक वसीयत स्व0 नर्बदापुरी शिष्या ब्रह्मपुरी के हक

संभागीय आयुक्त
अजमेर

में दिनांक 24–09–1972 को निष्पादित कर भूमि स्व0 नर्बदापुरी को सौंप दी थी जिसका वसीयतनामा ऑथ कमिश्नर से तत्समय प्रमाणित किया हुआ है। स्व0 नर्बदापुरी ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि में तीन कमरों एवं एक हॉल का निर्माण करवाया था जो आज भी प्रत्यर्थी संख्या 1 के कब्जे में निरन्तर चला आ रहा है। प्रत्यर्थी संख्या–1 ने प्रार्थना पत्र के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16–11–1970/11–12–1970, वसीयतनामा दिनांक 24–09–1972 व स्व0 नर्बदापुरी का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति एवं स्व0 नर्बदापुरी के वारिसान के संबंध में शपथ पत्र की प्रति प्रस्तुत कर सजरा शपथ पत्र के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने का अनुरोध किया जबकि संस्था के नाम क्रय की गई भूमि को किसी अन्य को बेचान/वसीयत करने का अधिकार नहीं है। उक्त संबंध में अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति भी प्रस्तुत की थी जिसे नजरअन्दाज कर तहसीलदार, पुष्कर ने अपने आदेश दिनांक 24–06–2024 से प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16–11–1970/11–12–1970, वसीयत दिनांक 24–09–1972 व सजरा शपथ पत्र के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायलय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार, पुष्कर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि छोगा पुत्र गंगाराम एवं रामदेव पुत्र रूघनाथ दोनों जाति भांड निवासी जोबनेर द्वारा जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 16.11.1970 /11–12–1970 से श्री पुरषोत्तम जी शर्मा पुत्र श्री तनसुख जाति ब्राहम्ण पाराशर निवासी बढी बस्ती, पुष्कर से तत्समय के खसरा संख्या 786 कि 05 बिस्वा भूमि जिसके नवीन खसरा सख्या 289 है कय कि थी। जिसक इन्द्राज उप पंजियक कार्यालय अजमेर में दिनाक 16.11.1970/11–12–1970 की पुस्तक संख्या 1 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 475 के कम संख्या 3347 पृष्ठ संख्या 77 से 80 पर इन्द्राज किया गया है पंजीकृत दस्तावेज की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है भाई बंटवारे में उक्त आराजी पुरुषोतम जी के हिस्से में आती थी उक्त आराजी खरीदकर छोगा जी एवं रामदेवजी ने क्रय 05 बिस्वा भूमि पर चारों तरफ चारदीवारी का निर्माण करके वहां एक मन्दिर बना दिया था जिसकी सेवा पूजा अर्चना अपीलांट के पिता के द्वारा ही की जाती रही है उक्त स्थान पर कालीका माताजी के मन्दिर निर्माण की जिम्मेदारी भांड समाज सभा जयपुर के द्वारा पंचों की उपस्थिति में अपीलांट के पिता को सम्मला दी थी तब से निर्माण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए मन्दिर निर्माण होकर सेवा पूजा अपीलार्थी के पिता द्वारा ही, उनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलार्थी के द्वारा ही की जाती रही है। छोगाजी एवं रामदेवजी दोनों जाति भांड द्वारा खसरा संख्या 786 नवीन खसरा संख्या 289

संभागीय आयुक्त
अजमेर

बाबत एक वसीयत स्वर्गीय नर्बदा पुरी शिष्या ब्रह्मपुरीजी के हक में दिनांक 24.09. 1972 को निष्पादित कर भूमि स्वर्गीय नर्बदा पुरीजी को सौंप दी थी जिसका तथाकथित अनरजिस्टर्ड वसीयत तत्समय की गई और नर्बदा पुरी का देहान्त दिनाक 21.04.2014 को हो गया रेस्पोडेन्ट संख्या–1 नर्बदा पुरीजी के वारिसान है अतः खसरा संख्या 289 का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट के हक में तस्दीक करने का निवेदन किया।

उनका यह भी तर्क है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा तथाकथित वसीयतनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 भू माफिया किस्म का व्यक्ति है नर्बदा पुरीजी के ही वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण नहीं खुलता तो रेस्पोडेन्ट के नाम नामान्तरकरण खुलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि तथाकथित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण की समरी कार्यवाही की गई है किसी भी सम्पति का जब कोई व्यक्ति स्वयं ही मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर पाया हो अन्य व्यक्ति को उसका मालिकाना हक प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि रेस्पोडेन्ट भू माफिया किस्म का व्यक्ति है जो पिछले कुछ समय से मन्दिर की मूर्तियां हटाने का प्रयास कर किस्मत सिंह पुत्र भगवान सिंह को बेचान करने का प्रयास करने पर आमदा है हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट पर भी उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर है। नामान्तरकरण खोलने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को होने पर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र जवाब आपत्ति प्रस्तुत की गई जिस पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–1 को नाजायज लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आपत्ति का विधि अनुसार निर्णय पारित कर दिया जो न्याय की मंशा नही थी और अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त किए जाने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि रेस्पोडेन्ट के पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज तकमील व तहरीर नहीं किया गया था जिस व्यक्ति के पक्ष में तथाकथित वसीयतनामा किया गया था वह दस्तावेज शुरू से ही शुन्य दस्तावेज था क्योंकि अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है और यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विकय दान तथा वसीयत पर सामान्य प्रतिबन्ध लागू है इस अधिनियम के तहत खातेदार आसामी द्वारा अपने सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र में या उसके भाग में अपने हित का विक्रय दान या वसीयत शुन्य होगा जब ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति का नहीं हो अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जन जाति का नहीं हो फिर भी तहसीलदार पुष्कर द्वारा अवैधानिक आदेश पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि दिनाक 08.07.2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी गई थी जिस पर सुनवाई होने के पश्चात माननीय

न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित कर दिया गया था उक्त आदेश का अंकन बाबत तहसीलदार पुष्कर के समक्ष दस्ती दे दी गई थी परन्तु तहसीलदार ने उक्त आदेश का अंकन नहीं कर पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 24–06–2024 में पुन संशोधन कर रेस्पोडेन्ट के हक में नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया जो दिनाक 07.05.2024 को ही भरकर हेतु प्रस्तुत कर दिया जिस पर ग्राम पचायत राजस्व अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 08–07–2024 के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 289 रकबा 0.0500 हैक्टेयर भूमि में से 05 बिस्वा का बैचान हुआ था जिसमें हिस्सा 7/612 होता है परन्तु नामान्तरकरण तस्दीक करते समय प्रत्येक का 7/612 हिस्सा दर्ज कर दिया गया की खरीदशुदा आराजी से भी ज्यादा हो गया जिसकी पालना में अन्य खातेदारों की आराजी के हिस्से कम ज्यादा हो गए। अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक होने से पूर्व उसकी वैधता व वैधानिकता एव सत्यता की जाच राजस्व वाद के उपरान्त ही तथा सम्बन्धित पक्षकारों को पक्षकार मूर्तिब किए जाने के पश्चात एवं प्रकरण में सम्पूर्ण साक्ष्य एवं सुनवाई के पश्चात ही निर्णय पारित किया जा सकता है जो राजस्व वाद के माध्यम से या सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा वसीयत की सत्यता की जांच के पश्चात ही निर्णय पारित किया जा सकता था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा समाचार पत्र में आपत्ति आमंत्रित किए जाने के उपरान्त दिनाक 06.06.2024 को अपीलाट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि वसीयत अनरजिस्टर्ड व बिना नोटेरी के प्रमाणित है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयतकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं हुआ था एवं निर्मित मन्दिर को देव स्थान विभाग के नियमों से ही किसी को दिया जाना उल्लेख किया है। अधीनस्य न्यायालय द्वारा तथाकथित वसीयत सम्बन्धी किसी भी प्रकार से बयान दर्ज नहीं होने के बावजूद झूठे शपथ पत्र के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो काबिल निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार के द्वारा ना ही विधिवत रूप से वारिसान की जांच की ना ही वसीयत बाबात किसी प्रकार की जांच की ना ही प्रमाणित सजरे बाबत जाच की एव ना ही इस बाबत उल्लेख किया कि उक्त वसीयत अन्तिम है या नहीं वसीयतकर्ता फौत हो गए है या अन्य कोई वसीयत उनके द्वारा तो नहीं की गई है वसीयतनामा पंजीबद्ध क्यों नहीं है वर्तमान में वारिसान का नाम रिकॉर्ड में क्यों नहीं है अगर किसी प्रकार का बैचाननामा हुआ है तो उसका रकबा कम ज्यादा है या नहीं उक्त आराजी के आस पास सभी सह काश्तकारों से किसी प्रकार की ना तो जानकारी ली गई ना ही उनके बयान लेखबद्ध किए गए आनन फानन में उक्त आक्षेपित निर्णय पारित कर

संभागीय आयुक्त
अजमेर

राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिनांक 24–06–2024 पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थी संख्या 1 विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कथन किया कि श्री पुरुषोत्तम पुत्र श्री तनसुख जी जाति ब्राहम्ण निवासी पुष्कर खाता सं. 34:1 के संयुक्त खातेदार थे एवं भाई बंटवारे मे उक्त खसरा नम्बर 786 नवीन खसरा नम्बर 289 की 5 बिस्वा भूमि श्री पुरुषोत्तम जी के हिस्से में आई जिसे श्री पुरुषोत्तम जी ने अपने हक व हिस्से की भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16–11–1970 /11–12–1970 से श्री छोगा पुत्र श्री गंगाराम एवं श्री रामदेव पुत्र श्री रघुनाथ दोनो जाति भांड, निवासी जोबनेर, जयपुर को विक्रय कर दी। विक्रय करने के पश्चात श्री छोगा व श्री रामदेव विवादित भूमि के एकमात्र मालिक व काबिज हुए। श्री छोगा एवं रामदेव द्वारा विवादित भूमि स्वयं की आय से व्यक्तिगत रूप से खरीदी थी जिसमे किसी संस्था या पंचायत का कोई हक, हिस्सा व अधिकार नहीं था जो स्व. श्री छोगा एवं रामदेव द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 24/09/1972 के अवलोकन से स्पष्ट है। श्री छोगा जी एवं रामदेव जी ने अपने द्वारा खरीदशुदा भूमि में कभी भी किसी मंदिर का निर्माण नही करवाया सिर्फ उक्त भूमि के चारो तरफ चार दिवारी का निर्माण करवाया। श्री छोगा जी एवं रामदेव जी ने अपने द्वारा खरीदी गई उक्त भूमि को जरिये वसीयतनामा दिनांक 24/09/1972 को साधवी नर्वदापुरी शिष्या ब्रह्मपुरी के पक्ष के रूबरू गवाहान निष्पादित की जो श्री छोगा एवं रामदेव की भूमि बाबत प्रथम व अंतिम वसीयत थी जो निर्वविवादित है। पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 18 के अनुसार वसीयत का पंजीयन होना आवश्यक एवं अनिवार्य नही है और साधवी नर्वदापुरी शिष्या श्री ब्रहमपुरी एवं पत्नी श्री नाथूराम जो दोनो पति–पत्नी बैरवा जाति से थे, जो अनुसूचित जाति के अर्न्तगत आती है। साधवी नर्वदापुरी को उक्त भूमि जरिये वसीयत मिलने के पश्चात साधवी नर्वदापुरी ने उक्त भूमि में 3 कमरे 1 हॉल का निर्माण करवाया जो आज भी प्रत्यर्थी के अधिकार व कब्जे में हैं जो कि पटवारी की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 12/04/2024 से स्पष्ट हैं।

अपीलार्थी का यह कथन निराधार हैं कि स्व0 छोगा एवं रामदेव ने उक्त भूमि खरीदने के पश्चात उसका कब्जा पंचो की उपस्थिति में अपीलार्थी के पिता को सुपूर्द किया और अपीलार्थी के पिता ने सम्पूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए उसमे मंदिर का निर्माण कर सेवा पूजा की हो और उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलार्थी करता हों जबकि वास्तविकता यह है कि विवादित भूमि पर कभी भी किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया गया है और जब किसी मंदिर का निर्माण ही नहीं किया गया तो अपीलार्थी एवं उसके पिता द्वारा कोई पूजा अर्चना किये जाने के कथन बेबुनियाद है, जो पटवारी मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 12/04/2024 से स्पष्ट हैं। इस प्रकार विवादित भूमि पर आज भी प्रत्यर्थी का विधि अनुसार मालिकाना हक व कब्जा काश्त चला आ रहा हैं।

न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर

संभागीय आयुक्त
अजमेर

उनका यह भी कथन है कि स्व0 साधवी नर्वदापुरी वसीयत दिनांक 24/09/1972 से उक्त भूमि की मालिक काविज हुई और साधवी नर्वदापुरी की मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री साधवी सेवापुरी जो उनकी एकमात्र पुत्री थी जो भी बैरवा जाति से थी जो अनुसूचित जाति के अर्न्तगत आती है जो विधि के प्रावधान अनुसार साधवी नर्वदापुरी की विधिक वारिसान होने से उक्त भूमि की मालिक काविज हुई। श्री छोगा जी पुत्र श्री गंगाराम एवं श्री रामदेव पुत्र श्री रघुनाथ दोनो ही जाति भांड जो एक अनुसूचित जाति के सदस्य थे और उनके द्वारा जो वसीयत दिनांक 24/09/1972 साधवी नर्वदापुरी शिष्या ब्रहमापुरी एवं पत्नी श्री नाथूराम बैरवा के पक्ष में निष्पादित की गई वह साधवी नर्वदापुरी भी एक अनुसूचित जाति बैरवा की महिला सदस्य थी जो विधि अनुसार उक्त भूमि की मालिक काविज हुई और साधवी नर्वदापुरी की मृत्यु के पश्चात साधवी सेवापुरी जो भी एक अनुसूचित जाति बैरवा की सदस्य थी एवं साधवी सेवापुरी की मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिसान प्रत्यर्थी संख्या–1 विवादित भूमि के एकमात्र मालिक होकर काविज चले आ रहे हैं और प्रत्यर्थी द्वारा उक्त बाबत की गई समस्त कार्यवाही विधि अनुसार पूर्ण रूप से सही एवं मान्य है जिसमे किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की कतई आवश्यकता नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि श्री छोगा पुत्र श्री गंगाराम एवं श्री रामदेव पुत्र श्री रघुनाथ दोनो ही जाति भांड थे जो एक अनुसूचित जाति के सदस्य थे और उनके द्वारा जो वसीयत दिनांक 24/09/1972 साधवी नर्बदापुरी शिष्या ब्रहमपुरी एवं पत्नी श्री नाथूराम बैरवा के पक्ष में निष्पादित की गई वह साधवी नर्बदापुरी भी एक अनुसूचित जाति बैरवा की महिला सदस्य थी जो विधी अनुसार उक्त भूमि की मालिक काबिज हुई जो श्री छोगा जी व श्री रामेदव जी द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 24/09/1972 के अवलोकन से स्पष्ट है और साधवी सेवापुरी जो भी एक अनुसूचित जाति की सदस्य थी, की मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिसान प्रत्यर्थी विवादित भूमि के एकंमात्र मालिक होकर काबिज चले आ रहे हैं और प्रत्यर्थी द्वारा उक्त बाबत की गई समस्त कार्यवाही विधि अनुसार पूर्ण रूप से सही एवं मान्य हैं और उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान विधि अनुसार लागू नहीं होते हैं क्योकि स्व0 श्री छोगा एवं स्व. श्री रामेदव जो अनुसूचित जाति के सदस्य थे, के द्वारा अनुसूचित जाति की महिला साधवी नर्बदापुरी जाति बैरवा के पक्ष में ही वसीयत की गई हैं जो विधि अनुसार सही है एवं साधवी नर्बदापुरी की एकमात्र पुत्री एवं विधिक वारिसान साधवी सेवापुरी भी अनुसूचित जाति की सदस्य थी और साधवी सेवापुरी की मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिसान प्रत्यर्थी संख्या–1 हैं जिन्हे विवादित भूमि विधिक वारिसान होने के फलस्वरूप प्राप्त हुई हैं जहां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 18 के अनुसार विवादित भूमि के खातेदार द्वारा की वसीयत का रजिस्टर्ड/पंजीकृत होना आवश्यक नहीं हैं एवं विवादित भूमि पर किसी प्रकार से कोई मंदिर का निर्माण नही किया गया और ना ही वर्तमान में हैं जो पटवारी मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 12/04/2024 से स्पष्ट हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, पुष्कर द्वारा

संभागीय आयुक्त
अजमेर

पारित आदेश दिनांक 24–06–2024 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि श्री छोगापुत्र श्री गंगारामपुत्र श्री रघुनाथ दोनों जाति भांण्ड निवासी जोबनेर द्वारा जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 16–11–1970 /दिनांक 11–12–70 से श्री पुरूषोत्तम पुत्र श्री तनसुख जाति ब्राहम्ण पाराशर निवासी बड़ी बस्ती पुष्कर से ग्राम पुष्कर के तत्समय के खाता संख्या 34:1 के खसरा नम्बर 786 की 5 बिस्वा भूमि जिसके नवीन खसरा नम्बर 289 है, को क्रय की थी। श्री छोगा व श्री रामदेव द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त खसरा नम्बर 786 के नवीन खसरा नम्बर 289 की एक वसीयत स्व0 नर्बदापुरी शिष्या ब्राहापुरी के हक में दिनांक 24–09–1972 को निष्पादित कर भूमि नर्बदापुरी को सौंप दी थी जो ऑथ कमिश्नर से प्रमाणित है। तहसीलदार, पुष्कर ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा तहसीलदार के समक्ष रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16–11–1970/दिनांक 11–12–70 एवं वसीयतनामा दिनांक 24–09–1972 व सजरा शपथ पत्र के आधार पर अपने आदेश दिनांक 24–06–2024 को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित कर दिये। जबकि संस्था के नाम क्रय की गई भूमि को किसी अन्य को बेचान/वसीयत करने का अधिकार नहीं है। इसी सन्दर्भ में स्वरूपनारायण पाठक पुत्र. पुरूषोत्तम जाति ब्राहम्ण निवासी बडी बस्ती पुष्कर द्वारा तहसीलदार, पुष्कर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की थी जिसे नजर अन्दाज कर आपत्तियों का निस्तारण किये बिना प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधिक नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि विवादित आराजियात खाता संख्या 34:1 के खसरा नम्बर 786 में लगभग 5 बिस्वा भूमि पर अपीलार्थी के पिता स्व0 श्री पुरूषोत्तम पुत्र तनसुख ने दिनांक 16–11–1970/ दिनांक 11–12–70 को श्री अखिल राजस्थान भाण्ड समाज जयपुर जरिये अध्यक्ष श्री छोगाराम सुपुत्र श्री गंगाराम जाति भांण्ड निवासी हसनपुर जिला जयपुर एंव मंत्री श्री रामदेव सुपुत्र श्री रघुनाथ जाति भाण्ड निवासी जोबनेर जिला जयपुर के नाम कर दी गई थी। विवादित आराजियात संस्था के नाम से क्रय की गई थी जिसका अध्यक्ष छोगाराम सुपुत्र श्री गंगाराम जाति भांण्ड था जिसको विवादित आराजियात का उपयोग संस्था भाण्ड समाज के प्रयोजनार्थ ही उपयोग में ली जा सकती है। अध्यक्ष द्वारा विवादित आराजियात खसरा नम्बर 786 रकबा 5 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 289 है, की वसीयत छोगाजी एवं रामदेव द्वारा नर्बदापुरी शिष्या ब्रहापुरी के हक में दिनांक 24–9–1972 को निष्पादित कर दी जिसका उन्हें अधिकार नहीं है। नियमों के तहत संस्था की भूमि का नामान्तरकरण भी अखिल राजस्थान भाण्ड समाज संस्था के नाम से ही खुलना चाहिए था। अखिल राजस्थान भाण्ड समाज जयपुर संस्था के नाम क्रय की गई आराजियात की वसीयत निजी खातेदारों के नाम करने का हक अधिकार अध्यक्ष व अन्य किसी को भी नहीं है। संस्था की भूमि अध्यक्ष छोगा पुत्र गंगाराम एवं रामदेव पुत्र रूघनाथ जाति भांण्ड जो कि अनुसुचित

न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर

संभागीय आयुक्त
अजमेर

जाति के सदस्य है, को सामान्य वर्ग /अन्य किसी भी वर्ग के व्यक्ति के नाम वसीयत करने का हक अधिकार निहित नहीं है। विवादित आराजियात का बेचान श्री अखिल राजस्थान भाण्ड समाज जयपुर के नाम किया गया था जिसका अध्यक्ष श्री छोगाराम सुपुत्र श्री गंगाराम जाति भांण्ड निवासी हसनपुर जिला जयपुर को नियुक्त किया गया था। संस्था के नाम कय की गई आराजियात का नामान्तरकरण भी संस्था के नाम ही तस्दीक किया जाना चाहिए था। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 42 के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति/जन जाति के सदस्य व्यक्ति की भूमि का अन्तरण ऐसे व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति /जन जाति का सदस्य नहीं है, चाहे ऐसा स्वीकृति के आधार पर ही हुआ हो, अविधिपूर्ण है। तहसीलदार, पुष्कर ने धारा 42 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 का उल्लंघन कर घोर लापरवाही का परिचय दिया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, पुष्कर द्वारा अपने आदेश दिनांक 24–06–2024 द्वारा विवादित आराजियात को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 24–09–1972 एवं पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 16–11–1970 /दिनांक 11–12–70 तथा सजरा शपथ पत्र के आधार पर विवादित आराजियात खसरा नम्बर 786 रकबा 5 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 289 है, का राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करने का आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, पुष्कर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–06–2024 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 05/2024 बउनवान योगेन्द्र यादव बनाम सरकार न्यायोचित एवं समुचित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16–12–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शक्ति सिंह राठौड़)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर